BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 595/2022

SARITA SINGH APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH RESPONDENT(S)

INDEX

SR. NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	ADDITIONAL AFFIDAVIT ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE MEERUT, UTTAR PRADESH IN COMPLIACE OF ORDER DATED 18.09.24.	1-3
2.	ANNEXURE R1 True copy of letter no. 26/7-LRC/2024 dated 10.07.2024 and letter no 189/7 -LRC/2024 dated 28.09.2024	4-5
3.	True copy of letter No. C.M-25/EA-6-2021-V.I.P-02/2018-R dated 11.11.2021	6-7

FILED THROUGH
BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL OF STATE OF UTTAR PRADESH
NATIONAL GREEN TRIBUNAL

DATE: 30.09.2021
PLACE: NOIDA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 595/2022

SARITA SINGH APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH RESPONDENT(S)

ADDITIONAL AFFIDAVIT ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE MEERUT, UTTAR PRADESH IN COMPLIACE OF ORDER DATED 18.09.24.

1. I am District Magistrate of Meerut, Uttar Pradesh and fully conversant with the facts and circumstances of the present case. I affirm that this additional affidavit is being filed by the deponent in compliance of order dated 18.09.24 of this Hon'ble tribunal.

2. At the outset, with utmost respect it is submitted that the deponent has the highest respect and regard to the order passed by the Hon'ble tribunal and duty bound to fulfil the obligation which are assigned under the law and direction passed by this Hon'ble tribunal in true letters and spirit.

3. That the Original Application was commenced under Suo-motu jurisdiction based on a letter petition dated 26.11.2022, submitted by Sarita Singh, Gram Pradhan of Nangla Gosai, Block Parikshitgarh, Tehsil Mawana, District Meerut. The petition alleges encroachment on land within a lake and Wildlife Sanctuary in Nagla-Gosai, Block Parikshitgarh, Tehsil Mawana, District Meerut, asserting that such encroachment is causing substantial damage to the area's biodiversity, environmental integrity and ecological balance.

4. It is submitted that in compliance of the order passed by this Hon'ble Tribunal, the deponent has filed status report dated 08.07.2023, 10.01.2024, 16.03.2024, 08.07.2024, 15.07.2024 and 29.08.2024. Pertaining to the action taken against the encroachment over lake.

5. The Hon'ble Tribunal passed the following order, dated 18.09.2024:

Sh. Bhawar Pal Singh Jadon, learned counsel appearing for State also said that an additional reply is required to be filed by District Magistrate, Meerut for which he prays for and allowed ten days' time.

6. It is submitted that the land situated in Village Nangla Gosai, Paragna Hastinapur, Tehsil Mawana, within the district boundaries, comprises a total of 9 Khasra numbers, encompassing an area of approximately 71.4880 hectares. Out of this, 60.2070 hectares were free from any encroachment. However, it was found that an area measuring 9.3310 hectares had been temporarily encroached upon by members of the Bengali community through farming activities over the lake area.

7. It is further submitted that, to the best of my knowledge and belief, no agricultural work is currently being conducted on the encroached area measuring 9.3310 hectares. Hence, out of the total area of the lake (71.4880 hectares), 69.5380 hectares is free from encroachment. Presently, 107 families of the Hindu Bengali community are occupying 1.9500 hectares of land with temporary and permanent structures (Kaccha and Pakka houses).

8. It is relevant to mention that in a similar matter, shifting of 63 families was approved through letter dated 11.11.2021, issued by the Additional Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, after the kind approval of His Excellency the Governor. It is humbly submitted that, following the precedent set forth in the year 2021 as mentioned above, District Magistrate, Meerut has requested and communicated to the Additional Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, Lucknow, vide letter no 26/7-LRC/2024 dated 10.07.2024 , and again vide letter no 189/7 - LRC/2024 dated 28.09.2024, for shifting the 107 families residing in village Nangla Gausai to a new location.

True copy of letter no. 26/7-LRC/2024 dated 10.07.2024, and letter no 189/7 -LRC/2024 dated 28.09.2024.is attached herein as **ANNEXURE R1**.

9. The deponent respectfully submits that the matter is under consideration for shifting the above stated families so that the remaining area also may be encroachment free. Therefore, the deponent beseeches a period of four months to resolve the present issue, and humbly prays for the Hon'ble Tribunal to grant the time for the same.

10. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at ___________ on this _____ day of September, 2024, that the contents of the above response from paragraphs 1 to 10 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

Serial No. 77 ... 14981 (D.M Meerut)
Certified that Shri ... Bhawar lal S/o Jalal
Identified by Sri ...
Made this ...
at ... Sd/- M
30/09/24

ANNEXURE R1

4.

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मेरठ।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
राजस्व अनुभाग–8
लखनऊ।

संख्या: 26 /सात–एल0आर0सी0/2024 दिनांक 10–07–2024

विषय: जनपद मेरठ की तहसील मवाना स्थित ग्राम नंगला गौसाई में 107 हिन्दू बंगाली परिवारों को पुनर्वास हेतु अन्यत्र स्थान पर पुनर्वासित किये जाने के लिये अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के संबंध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0संख्या–595/2022 (IA NO-04/2024 & I.A No 07/2024) sarita singh & ors Vs state of u.p & or में पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 का अनुपालन किये जाने के संबंध में उप जिलाधिकारी मवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट संख्या–366/एस0टी0 मवाना/2024 दिनांक 09–07–2024 जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में हिन्दू बंगाली समुदाय के लोगों के पुनर्वास हेतु 107 परिवारों की सूची संलग्न की गयी है। चूँकि समस्त बंगाली परिवार जो ग्राम नंगला गौसाई में निवासरत है, के वन्य जीव अम्यारण के अन्तर्गत होने के कारण किसी भी प्रकार का आंवटन किया जाना विधिक नही है। ग्राम नंगला गौसाई में निवासरत 107 बंगाली परिवारों को अन्यत्र स्थान पर पुनर्वासित किये जाने से संबंधित सैधान्तिक (In Principal) अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है।

उल्लेखनीय कि पूर्व में जिलाधिकारी मेरठ के पत्रांक 954/सात–भूलेख/एलआरसी/2014–15 दिनांक 10–9–2015 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा जनपद मेरठ की तहसील मवाना के 63 हिन्दू बंगाली परिवारों को पुर्नवास हेतु जिलाधिकारी कानपुर देहात से सम्यक् जांच कराते हुए यथोचित निर्णय हेतु पत्र प्रेषित किया गया था, जिसके कम में अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या सीएम–25/एक–6–2021–वी0आई0पी0–02/2018–रा0 दिनांक 11 नवम्बर, 2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय की सहर्ष स्वीकृति के कम में उक्त 63 हिन्दू बंगाली परिवारों को ग्राम भैंसाया तहसील रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात में क्षेत्रफल 121.4160है0 भूमि जो पुर्नवास विभाग के नाम दर्ज है, जिसके आंशिक भाग पर उक्त परिवारों को पुनर्वासित किया गया था।

जनपद मेरठ की तहसील मवाना के ग्राम नंगला गौसाई में बसे 107 हिन्दू बंगाली समुदाय के परिवारों के पुर्नवास हेतु जनपद मेरठ में आवश्यक भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः उपरोक्त 107 परिवारों को अन्यत्र स्थान पर पुनर्वासित किये जाने की संस्तुति के साथ आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

10/7/2024

(दीपक मीणा)
जिलाधिकारी, मेरठ।

5.

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मेरठ।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
राजस्व अनुभाग–6,
लखनऊ।

संख्याः 189 /सात–एल0आर0सी0/2024 दिनांक 28–09–2024

विषय जनपद मेरठ की तहसील मवाना स्थित ग्राम नंगला गौसाई में 107 हिन्दू बंगाली परिवारों को पुर्नवास हेतु अन्यत्र स्थान पर पुनर्वासित किये जाने के लिये अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के संबंध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 26/सात–एलआरसी /2024 दिनांक 10–7–2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न), जिसके अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0संख्या–595/2022 (IA NO-04/2024 & I.A No 07/2024) sarita singh & ors Vs state of u.p & ors में पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 का अनुपालन किये जाने के संबंध में उप जिलाधिकारी मवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट संख्या–366/एसटी मवाना/2024 दिनांक 09–7–2024 जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में हिन्दू बंगाली समुदाय के लोगों के पुनर्वास हेतु 107 परिवार जो ग्राम नंगला गौसाई में निवासरत है, के वन्य जीव अभ्यारण के अन्तर्गत होने के कारण किसी भी प्रकार का आंवटन किया जाना विधिक नहीं है। ग्राम नंगला गौसाई में निवासरत 107 बंगाली परिवारों को अन्यत्र स्थान पर पुनर्वासित किये जाने से संबंधित सैधान्तिक (In Principal) अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है। उल्लेखनीय कि तत्कालीन जिलाधिकारी मेरठ के पत्रांक 954/सात–भूलेख/एलआरसी/2014–15 दिनांक 10–9–2015 के द्वारा जनपद मेरठ की तहसील मवाना के 63 हिन्दू बंगाली परिवारों को पुर्नवास हेतु जिलाधिकारी कानपुर देहात से सम्यक् जांच कराते हुए यथोचित निर्णय हेतु पत्र प्रेषित किया गया था, जिसके कम में अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या सीएम–25/एक–6–2021–वी0आई0पी0–02/2018–रा0 दिनांक 11 नवम्बर, 2021 द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय की सहर्ष स्वीकृति के कम में उक्त 63 हिन्दू बंगाली परिवारों को ग्राम भैंसाया तहसील रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात में क्षेत्रफल 121.4160है0 भूमि जो पुर्नवास विभाग के नाम दर्ज है, जिसके आंशिक भाग पर उक्त परिवारों को पुर्नवासित किया गया था। ग्राम नंगला गौसाई में बसे 107 हिन्दू बंगाली समुदाय के परिवारों के पुर्नवास हेतु जनपद मेरठ में आवश्यक भूमि उपलब्ध न होने के कारण 107 परिवारों को अन्यत्र स्थान पर पुर्नवासित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गयी थी।

उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में लम्बित है तथा झील की भूमि पर आवासित व्यक्तियों को हटाये जाने हेतु मा0 अधिकरण द्वारा बार–बार निर्देशित किया जा रहा है। अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि जनपद मेरठ की तहसील मवाना के ग्राम नंगला गौसाई में बसे 107 हिन्दू बंगाली समुदाय के परिवारों के पुर्नवास हेतु अन्यत्र स्थान पर पुर्नवासित किये जाने हेतु कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

28/9/2024

(दीपक मीणा)
जिलाधिकारी,मेरठ।

संख्या–सी0एम0–25 /एक–6–2021–पी.आई.पी.–02/2018–रा0–

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव
राजस्व परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 11 नवम्बर, 2021

विषयः वर्ष–1970 में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित हिन्दू बंगाली परिवारों के पुनः पुनर्वासन हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0–जी–690/11–44–रा0आ0/2015, दिनांक 18–08–2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. पूर्वी पाकिस्तान से वर्ष–1970 में विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन के लिए व्यवस्था की गयी थी। यह पुनर्वासन The Displaced Persons (Claims) Act, 1950 & The Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 के प्राविधानों के अन्तर्गत की गयी थी। पुनर्वासन की कार्यवाही कतिपय परिवारों को कारखाने में नौकरी देकर तथा कृषि भूमि आवंटित कर की गई थी। कृषि भूमि, जो सीलिंग में सरप्लस घोषित की गई थी व जो ग्राम समाज की थी वह विस्थापित परिवारों के आवंटन के लिए सहायता व पुनर्वास विभाग के नाम हस्तांतरित की गई थी। सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3386/बीस–ई–1–90– यू0ओ0–242/90, दिनांक 24 मई, 1990 द्वारा सहायता एवं पुनर्वास विभाग को समाप्त कर उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग–6 के कार्यालय ज्ञाप सं0–यू0ओ0 128/1–6–90–रा0–6–(92/86), दिनांक 15 जून, 1991 द्वारा राजस्व विभाग में संविलीन कर दिया गया। कार्यालय ज्ञाप संख्या–यू0ओ0 128/ 1–6–90–रा0–6–92/86 दिनांक 15.06.1991 के प्रस्तर–2(1) में व्यवस्था है, कि सहायता तथा पुनर्वासन विभाग की प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित चल/अचल परिसम्पत्तियां अब राजस्व विभाग की सम्पत्तियां हो जायेंगी।

3. पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित हिन्दू बंगाली परिवांरों, जिन्हें नौकरी पर मदन सूत मिल, हस्तिनापुर, जनपद मेरठ में पुनर्वासित किया गया था, उक्त मिल दिनांक 08.08.1984 को बन्द हो जाने के बाद मदन सूत मिल में कार्य कर रहे 407 परिवारों में से 332 परिवारों को उड़ीसा एवं बदायूँ में कृषि भूमि उपलब्ध कराकर पुनः पुनर्वासित किया गया। परन्तु कुल 65 परिवारों को पुनः पुनर्वासित अभी तक नहीं किया जा सका था। इन 65 परिवारों में 02 परिवार के सदस्यों की मृत्यु हो चुकी है, किन्तु 63 परिवार शेष हैं, जिनके पुनः पुनर्वासन का प्रकरण वर्ष 1990 के पूर्व से (30 वर्ष से अधिक समय से) लम्बित चल रहा है। इन 63 परिवारों की सूची संलग्नक–1 पर है।

4. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम भैंसाया, तहसील रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात में 121.416 हे0 भूमि पुनर्वास विभाग के नाम अभिलेखों में दर्ज है। इस भूमि पर वर्ष–1970 में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित 63 हिन्दू बंगाली परिवारों को निम्नलिखित कार्य योजना के अनुसार पुनः पुनर्वासित किये जाने का श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

Manoj

(i) कृषि कार्य हेतु प्रति परिवार भूमि आवंटन - 2.00 एकड़

(ii) आवास हेतु भूमि प्रति परिवार - 200 वर्ग मीटर

(iii) आवास निर्माण हेतु प्रति परिवार - रू. 1.20 लाख
(मुख्यमंत्री आवास योजनान्तर्गत)

(iv) भूमि सुधार व सिंचाई सुविधा - आवश्यकतानुसार मनरेगा योजनान्तर्गत क्रियान्वित किया जाएगा।

उपरोक्त 2.00 एकड़ कृषि भूमि एवं 200 वर्ग मीटर आवासीय भूमि 1.00-1.00 रूपये की लीज रेण्ट पर प्रथम 30 वर्ष के लिए पट्टे पर दी जाएगी, जिसे 30-30 वर्ष के लिए दो बार पुनः नवीनीकृत करने का प्राविधान होगा, लेकिन पट्टे की अधिकतम अवधि 90 वर्ष की होगी। पट्टे का अभिलेख संलग्नक-2 पर है, यह पट्टा रू0 100/- के स्टाम्प पर किया जाएगा।

3- कृपया उपरोक्तानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः-

(1)- 63 हिन्दू बंगाली परिवारों की सूची।

(2)- पट्टा अभिलेख का प्रारूप।

भवदीय,

11.11.21

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-सी0एम0-25(1)/एक-6-2021-रा0-6:तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, सिंचाई, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन।
6. अपर मुख्य सचिव, वित, उत्तर प्रदेश शासन।
7. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. मण्डलायुक्त, कानपुर मण्डल।
9. मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल।
10. जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
11. जिलाधिकरी, मेरठ।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लालू)
विशेष सचिव।